न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

बिरसा भगत वगैरह .... बनाम ...... बनवारी उराँव वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं०–एम......65...../2018 धारा–107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ......बुण्डू...... के अप्राथमिकी सं०–15/18 दिनांक 29-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता नं० 02 प्लॉट नं० 163। रकबा 2 ए० 5 डी० एवं 2ए० 30डी० भूमि को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) सबत पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि ..11-06-18..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
11-06-18	पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 29-06-18 को रखें।	

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

विरसा भरती से परिवाद एवं प्रतिपरीक्षा लिया गया तथा गवाही से मुक्त किया गया। प्रथम पक्ष गवाही बन्द की जाती है द्वितीय पक्ष गवाही हेतु गवाह उपस्थित की। उक्त वाद में समय सीमा दिनांक 27-1-19 को समाप्त हो रही है। प्रथम पक्ष द्वारा वाद के द्वितीय पक्ष गवाही हेतु समय सीमा बढ़ाने हेतु आवेदन देकर न्यायालय में प्रार्थना की है। प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। दिनांक 08-2-19 को रखें।

08-02-19 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष क्रमांक 02 अधिवक्ता हाजरी दाय सभी उपस्थित। उक्त वाद को 6 (छ:) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अत: वाद में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.24 15:49:37 +05:30
Location: 10.93.79.5